

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक: विविध / 2022 / 1239-55

दिनांक - 27.4.2022

:::: आदेश :::

अत्यवश्यक

अक्षय तृतीया व आगामी दिनों में उपखण्ड क्षेत्र में कोई बाल विवाह न हो इसकी प्रभावी निगरानी/रोकथाम के लिए निम्नानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय दलों का गठन किया जाता है:-

क्र.स.	दल कार्मिक	कार्यक्षेत्र	कार्य
1	1. पटवारी 2. ग्राम विकास अधिकारी 3. ए.एन.एम/आशा सहयोगिनी 4. आंगनवाडीकार्यकर्ता /सहायिका 5. महिला पर्यवेक्षक	संबंधित ग्राम पंचायत	अपने कार्य क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह संबंधित सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को तहसीलदार /महिला एवं बाल विकास अधिकारी /थानाधिकारी को उपलब्ध करावें।

उक्त दल पुरी सजगता/सतर्कता से कार्य करेंगे तथा इनके कार्यक्षेत्र में कोई बाल विवाह होता है तो संबंधित कार्मिक जिम्मेदार होंगे तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

1. श्री राम प्रसाद खटीक, तहसीलदार सलुम्बर - 9460156097
2. श्री रमेश चन्द्र जैन, नायब तहसीलदार गींगला - 9460574004
3. श्री अमृत लाल, नायब तहसीलदार झल्लारा - 9982274529
4. श्री राजेश शर्मा महिला एवं बाल विकास अधिकारी सलुम्बर - 7014955359
5. श्री प्रतापसिंह महिला एवं बाल विकास अधिकारी झल्लारा - 9783210750
6. श्री हनवन्त सिंह सोढा, थानाधिकारी सलुम्बर - 7728937982
7. श्री परमेश्वर पाटीदार, थानाधिकारी झल्लारा - 8769706650
8. श्री सुरेश विश्‍नोई थानाधिकारी गींगला - 9413305111

(दिनेश चन्द धाकड़)

उपखण्ड अधिकारी

सलुम्बर

जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, उदयपुर।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर।
3. उप अधीक्षक पुलिस थाना, सलुम्बर को भेज लेख है कि थानाधिकारी सलुम्बर/गींगला/झल्लारा को पाबन्द करे।
4. तहसीलदार, सलुम्बर/झल्लारा को भेज लेख है कि पटवारी एवं भू.अ.नि. को पाबन्द करे एवं बाल विवाह की सूचना मिलने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे।
5. विकास अधिकारी, सलुम्बर/झल्लारा को भेज लेख है कि ग्राम विकास अधिकारी को पाबन्द करे।
6. थानाधिकारी, सलुम्बर/झल्लारा/ गींगला को भेज लेख है कि संबंधित बीट कास्टेबल को पाबन्द करे एवं बाल विवाह की सूचना पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करे।
7. नायब तहसीलदार, सलुम्बर/झल्लारा/ गींगला।
8. महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सलुम्बर/झल्लारा को भेज लेख है कि आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिला सुपरवाइजर एवं आशा सहयोगिनी को पाबन्द करे।
9. संबंधित-पटवारी, ग्रा.वि.अ., ए.एन.एम, आशा., आ. कार्यकर्ता, म. पर्यवेक्षक को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

सलुम्बर

जिला उदयपुर (राज.)